

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 30/8 /11-सी- FP/UP/TRANS/42524/2019, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 2 / ,2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- 765 के०वी० एस०/सी० घाटमपुर-हापुड़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.624 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 आरक्षित हे० तथा 0.4928 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे० आरक्षित हे० तथा 0.4464 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों/पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 आरक्षित हे० तथा 0.4348 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, जनपद कन्नौज में 0.00 हे०, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 हे० संरक्षित एवं बाधक 50 वृक्षों/पौधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों/पौधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4216 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.8184 फारेस्टरी डिविजनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों/पौधों के पातन तथा हापुड़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 16.5761 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/UP/TRANS/42524/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8वी०/यू०पी०/०४/169/2020/एफ०सी०/1109, दिनांक-24.12.2020
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक-2916/14-1 दिनांक 19.04.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गयी है।

अतः बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 30/8 /11-सी- FP/UP/Road/150997/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 30/8 /11-सी- FP/UP/TRANS/42524/2019,, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़, मेरठ एवं आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, कानपुर देहात, कानपुर नगर औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, बुलन्दशहर एवं हापुड़।
4. अधिकृत प्रतिनिधि, घाटमपुर ट्रान्समिशन लि० 644 एवं 644 ए, लखनपुर, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर
पत्रांक 2916/14-1 दिनांक कानपुर, अप्रैल, 19/2023

सेवा में,

7C

विषय:-
CCF/NO. 2916/14-1
20/04/23

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर हापुड़ पारवण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग की 0.624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4928 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4464 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4348 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कन्नौज में प्रभावित 0.00 हे0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों/पौधों के पातन, अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों/पौधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों/पौधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में 1.4216 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.8184 हे0 फॉरेस्टरी डिक्सन रीमीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों/पौधों के पातन तथा हापुड़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 16.5761 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 346/11-सी- FP/UP/TRANS/42524/2019, दिनांक 17.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में नामित नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात ने अपने पत्रांक 3087/14-1 दिनांक 03.04.2023 विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। सम्बन्धित प्रभागों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों की समेकित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर अभिलेखों की 03-03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


Sr. No.	CONDITION	COMPLIANCE
1	The legal status of the land shall remain unchanged	बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 33.2184 ha. Degraded forest land at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of the species has to be avoided/	बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work schedule for subsequent years.	इस मद में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है। शर्त के अनुपालन में प्रयोज्यता अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु मांगी गयी धनराशि रु0 12179432.00 (रु0 एक करोड़ इक्कीस लाख उन्यासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र) को Compensatory afforestation fund Management and Planning Authority के खाते में ई-पोर्टल द्वारा जनित चालान द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. Forest area to diverted under the proposal from the user agency as per the	प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0-666 एवं भारत के पत्र

osc:spcial/ Letter. Apr2023

	order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the ministry vide letter no. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि ₹० 10376642.00 (₹० एक करोड़ तीन लाख छिहत्तर हजार छः सौ ब्यालिस मात्र) ई-पोर्टल द्वारा जनित चालान के माध्यम से जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt shall be charged by the state Government from the user agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	User Agency Shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the tree shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thru e-portal (http://www.parivesh.nic.in)	प्रयोजिता अभिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि ई-पोर्टल से जनित चालान द्वारा जमा की गयी है।
8	The Complete Compliance of the FRA 2006, shall be ensured by way of prescribed certificate form the concerned District Collector.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	The User Agency in Consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the state forest department.	इस मद में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित है। शर्त के अनुपालन में प्रयोजिता अभिकरण द्वारा बौने एवं औषधीय पौधों के वनीकरण हेतु मांगी गयी धनराशि ₹० 6974303.00 (₹० छह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तीन मात्र) को Compensatory afforestation fund Management and Planning Authority के खाते में ई-पोर्टल द्वारा जनित चालान द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
10	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission line through forest areas issued by ministry vide letter number 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	No Labour camp shall be established on the forest land.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Divisions needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29-01-2018	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change May Stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://www.parivesh.nic.in)	बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	CA amount as per proposal	रु0 12179432.00
	CA amount deposited	रु0 12179432.00
	Difference in amount	रु0 0.00
	Reason for Difference	—
	NPV amount as per proposal	रु0 10376642.00
	NPV amount deposited	रु0 10376642.00
	Difference in amount	रु0 0.00
	Reason for Difference	—
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	बोनो एवं औषधीय पौधों के रोपण हेतु धनराशि रु0 6974303.00
	CAMPA Confirmation	—

संलग्नक :- यथोपरि

भवदीय

 (कृष्ण कुमार सिंह)
 मुख्य वन संरक्षक
 कानपुर मण्डल, कानपुर

प्रतिलिपि / अ समदिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात को उनके पत्रांक 3087/14-1 दिनांक 03.04.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वरिष्ठ प्रबन्धक, घाटमपुर ट्रान्समिशन लिमिटेड, 644 व 644ए कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, विकास नगर, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
 मुख्य वन संरक्षक
 कानपुर मण्डल, कानपुर

